



UPFD010004142021

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, फिरोजाबाद
उपस्थित --इफराक अहमद (एच०जे०एस०) ID-UP6193
विशेष सत्र वाद सं०- 188/2021

राज्य अभियोजनपक्ष

बनाम

- 1- अजय कुमार पुत्र प्रहलाद सिंह,
- 2- विजय पुत्र प्रहलाद सिंह,
- 3- सुन्दर पुत्र प्रहलाद सिंह,
- 4- भूरा उर्फ शिव कुमार पुत्र प्रहलाद सिंह,
- 5- प्रहलाद सिंह पुत्र अतर सिंह,

समस्त निवासीगण- ग्राम छितरई, थाना पचोखरा, जिला फिरोजाबाद।

.....अभियुक्तगण

धारा- 147,323,504,506 भा०द०सं०
व धारा 3(1) द, ध, एस०सी०/एस०टी० एक्ट
थाना- पचोखरा, जिला- फिरोजाबाद।
अपराध संख्या- 182/2020,

निर्णय

1. उपरोक्त विशेष सत्र-परीक्षण वाद का विचारण पुलिस थाना पचोखरा जनपद फिरोजाबाद द्वारा मु०अ०सं० 182/2020 में अभियुक्तगण अजय कुमार, विजय कुमार, सुन्दर सिंह, भूरा उर्फ शिव कुमार एवं प्रहलाद सिंह के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र अंतर्गत धारा 147,323,504,506 भा०द०सं०, व धारा 3(1)द, ध एस०सी०/ एस०टी० एक्ट, के आधार पर संस्थित होकर किया गया।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी ओमवीर सिंह पुत्र नरायन सिंह, निवासी- ग्राम छितरई, थाना पचोखरा, जिला

फिरोजाबाद (Informant) द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3)द०प्र०सं० न्यायालय में प्रदर्श क-1 निम्न आशय का प्रस्तुत किया गया है कि-

"निवेदन है कि प्रार्थी अनुसूचित जाति जाटव जाति का व्यक्ति है। प्रार्थी दिनांक 03-06-20 को समय करीब रात्रि 08.30 बजे अपने परिजनों के साथ बैठकर खाना खा रहा था तभी गाँव के अजय कुमार जाट, विजय कुमार, सुन्दर सिंह, भूरा सिंह, प्रहलाद सिंह, अमित कुमार निवासीगण छितरई, थाना पचोखरा फिरोजाबाद एक राय होकर अपने हाथों में लाठी डण्डे आदि लेकर प्रार्थी के घर में घुस आये और आते ही माँ बहन की गन्दी-गन्दी गालिया व जाति सूचक शब्द चमार कहते हुये गालिया देने लगे। प्रार्थी ने गाली देने से मना किया तो सभी लोगों ने प्रार्थी को लाठी डण्डे से मारापीटा। प्रार्थी को बचाने उसकी पुत्री कु० योगिता आयी तो उसको बुरी नीयत से पकड़ लिया और अजय कुनार ने योगिता का टुपट्टा खींच दिया और अश्लील हरकते की और जमीन पर डाल लिया तथा महीपाल सिंह (होमगार्ड) से ड्यूटी करके घर आये तो उनको भी सभी लोगों ने मारापीटा। शोर होने पर आस-पास के बहुत लोग आ गये जिन्हें आते देख सभी विपक्षीगण जाते हुये प्रार्थी को धमकी देते गये कि साले चमरा आज तो बचा लिया है आयन्दा मौका मिलने पर तेरी लड़की को उठा ले जायेंगे और तेरे पूरे परिवार को जिन्दा जला देंगे, कहते हुए चले गये। महीपाल सिंह की मारपीट में वर्दी भी फाड़ दी। उक्त मारपीट में प्रार्थी व उसके परिजन के चोटें आयी। घटना कि सूचना प्रार्थी ने 112 नम्बर पर पुलिस को दी जिस पर पुलिस आयी और अजय व सुन्दर सिंह जाट को पकड़कर ले गयी। शेष हमलावर भाग गये लेकिन बाद में राजनैतिक पहुंच के कारण दोनों को छोड़ दिया। प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी न डाक्टरी मुआयना कराया। प्रार्थी ने घटना के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व अन्य उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिये लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब प्रार्थी ने न्यायालय में धारा 156(3)द०प्र०सं० का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।"

3. उपरोक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० प्रदर्श क-1 पर न्यायालय के आदेश से थाना पचोखरा प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं० 182/2020, अन्तर्गत धारा 147, 148, 452, 323, 504, 506,

354ख भा०दं०सं०, धारा 7/8 पोक्सो एक्ट, धारा 3(2) (va) एस०सी०/ एस०टी० एक्ट दिनांकित 06-08-20 को प्रदर्श क-5 के रूप में अभियुक्तगण अजय कुमार, विजय कुमार, सुन्दर सिंह, भूरा सिंह, प्रहलाद सिंह एवं अमित कुमार के विरुद्ध पंजीकृत की गयी, जिसकी प्रविष्टि रोजनामचाआम (G.D.) में गयी, जिसकी प्रति पत्रावली पर प्रदर्श क-6 है।

4. विवेचना अग्रसारित करते हुए विवेचक द्वारा साक्षियों के बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० अंकित किये गये। घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण अजय कुमार, विजय कुमार, सुन्दर सिंह, भूरा सिंह एवं प्रहलाद सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क-5 प्रेषित किया गया।

5. अभियुक्तगण को नकले प्राप्त करायी गयी। मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियोजन एवं बचाव पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त पर्याप्त आधार पाये जाने पर अभियुक्तगण अजय कुमार, विजय कुमार, सुन्दर सिंह, भूरा सिंह एवं प्रहलाद सिंह के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 147,323,504,506 भा०दं०सं०, व धारा 3(1) द, घ, एस०सी०/ एस०टी० एक्ट दिनांक 11-11-2021 को विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की माँग की।

6. आरोप के समर्थन में अभियोजन द्वारा निम्न साक्षीगण को परीक्षित किया गया-

क्रम सं०	नाम साक्षी	
1	PW-1 ओमवीर सिंह	वादी मुकदमा (Informant)/चोटिल
2	PW-2 कु० योगिता	चोटिल/चश्मदीद साक्षी
3	PW- 3 महीपाल सिंह	(चश्मदीद साक्षी)
4	PW- 4 सोनवीर सिंह	(चश्मदीद साक्षी)
5	PW- 5 देवेन्द्र कुमार	विवेचक
6	PW- 6 का० 384 मनीराम	प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक

7. अभियोजन की ओर से निम्नलिखित प्रदर्श साबित किये गये-

क्रम सं०	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श
----------	-----------------	---------

1	प्रार्थना पत्र/तहरीर धारा 156(3)द०प्र०सं०	प्रदर्श क- 1
2	बयान चोटिल अ० धारा 164 द०प्र०सं०	प्रदर्श क- 2
3	नक्शा नजरी	प्रदर्श क- 3
4	आरोप पत्र	प्रदर्श क- 4
5	प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)	प्रदर्श क- 5
6	जी०डी०	प्रदर्श क- 6

8. अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० अंकित किये गये। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोपों को गलत बताया। मुकदमा गाँव की पेशबन्दी के कारण चलना बताया।

धारा 147 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाव था,
- (ii) यह कि ऐसा जमाव भारतीय दण्ड संहिता की धारा 141 में उल्लिखित पांच उद्देश्यों में से एक रखने के कारण, जब यह आयोजित किया गया था, विधिविरुद्ध था या तत्पश्चात् विधिविरुद्ध हो गया था,
- (iii) यह कि ऐसा उद्देश्य ऐसे जमाव के सदस्यों का सामान्य उद्देश्य था,
- (iv) यह कि अभियुक्त या ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य ने बल या हिंसा का प्रयोग किया; एवं,
- (v) यह कि ऐसा बल या हिंसा का प्रयोग ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किया गया था,

धारा 323 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने वास्तव में परिवादकर्ता को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शौथिल्य कारित किया;
- (ii) यह कि अभियुक्त ने ऐसा उपहति कारित करने के आशय से या इस ज्ञान के साथ कि उपहति कारित किया जाना संभाव्य है, किया।

धारा 504 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति को अपमानित किया,

- (ii) यह कि उसने ऐसा साशय किया-
- (iii) यह कि उसने तदद्वारा उस व्यक्ति को गंभीर प्रकोपन किया
- (iv) यह कि वह आशय रखता था या जानता था कि यह संभाव्य है कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग करेगा या कोई अन्य अपराध कारित करेगा।

धारा 506 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति आदि को या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसमें पूर्ववर्ती हितबद्ध हो, क्षति कारित करने की धमकी दिया,
- (ii) यह कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध के पीड़ित व्यक्ति को चेतावनी देने के आशय से किया, एवं-
- (iii) यह कि उसने ऐसा इस कारण से किया कि पीड़ित व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करें या करने का लोप करें जिसे करने के लिए वह विधिपूर्वक बाध्य न हो।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1) में यह प्रावधान है कि- कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,

उपधारा धारा (द)- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अवमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त करेगा,

उपधारा धारा (ध)- लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गाली-गलौज करेगा।

वह, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

9. मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 1 ओमवीर सिंह को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 1 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

“घटना दिनांक 03-06-2020 की है। समय रात्रि 08.30 बजे का था। मैं अपने परिवार के साथ बैठकर घर के अन्दर खाना खा रहा था। तभी अजय, विजय, सुन्दर सिंह, भूरा सिंह, प्रहलाद सिंह, अमित कुमार एक राय होकर आये जिनके हाथ में लाठी, डण्डा, सरिया थी। आते ही इन्होंने माँ बहन की गंदी-गंदी गालियां दी, चमार डेड जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। मैंने गाली देने से मना किया तो मुझे सभी लोगों ने मारापीटा लाठी डण्डों से मारापीटा। तभी मेरी बेटी योगिता बचाने आयी तो अजय ने मेरी लड़की योगिता को बुरी नीयत से पकड़ लिया। तो अजय कुमार ने मेरी लड़की योगिता का टुपट्टा खींच दिया और अश्लील हरकत की और योगिता को जमीन पर डाल लिया। तभी मेरा भाई महीपाल सिंह होमगार्ड ड्यूटी करके आया तो उसे भी मारापीटा। सभी लोगों ने मारापीटा और मेरे भाई की वर्दी फाड़ दी। सभी मुल्जिमानों ने कहा कि साले आज तो बच गया है, फिर किसी दिन तेरी लड़की को उठाकर ले जायेगे और तेरे परिवार और तुझे जिन्दा जला देंगे। फिर मैंने 112 नम्बर पुलिस पर फोन किया था। तो पुलिस आ गयी थी। अजय और सुन्दर सिंह को पकड़ कर ले गयी थी। शेष लोग भाग गये थे। मारपीट में मेरे, मेरे भाई व मेरी बेटी को चोटें आयी थी। पुलिस ने हमारा मेडिकल कराया था। थाने पर मैं रिपोर्ट लिखाने गया था, लेकिन पुलिस ने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी थी। उसके बाद मैं एस०एस०पी० महोदय के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया था। लेकिन फिर भी रिपोर्ट नहीं लिखी थी। उसके बाद मैं दबरई न्यायालय आया था रौ वकील के माध्यम से न्यायालय में रिपोर्ट कराने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 156(3)द०प्र०सं० दिया था। न्यायालय के आदेश से थाना पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी। तलवीदा पत्रावली प्रकीर्ण वाद 124/20 ओमवीर सिंह बनाम अजय कुमार आदि पत्रावली पर है, जिस पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर कि शिनाख्त की। जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। गवाह ने कहा कि यह वहीं प्रार्थना पत्र जिस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था।”

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 2 कु० योगिता को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 2 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

“घटना दिनांक 03-06-2020 की है। समय 08.30 बजे शाम का था। मैं अपने घर पर थी। वहाँ पर अजय, विजय, भूरा, प्रहलाद सिंह, सुन्दर, अमित आ गये। इन लोगों ने घर पर आकर माँ बहन की गालियाँ देते हुये डेड चमार कहते हुये घर में घुस आये। इन लोगों ने लाठी, डण्डों से मेरे पापा ओमवीर सिंह, चाचा महीपाल सिंह, चाचा सोमवीर सिंह के साथ मारपीट की। सभी लोगों ने लाठी, डण्डों से मारपीट की थी। मेरे साथ भी सभी लोगों ने मारपीट की थी। अजय ने मेरा टुपट्टा खींच कर मुझे जमीन पर गिरा लिया था, जिससे मेरे कपड़े फट गये थे। कपड़े मेरे अजय ने फाड़े थे। बाकी मुल्जिमानों ने मेरे साथ मारपीट की थी। मौके पर भीड़-भाड़ हो गयी थी। लोग आ गये थे। पुलिस वालों ने मेरा बयान लिया था। मेरा न्यायालय में मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान हुआ था। बयान धारा 164 द०प्र०सं० लिया था। न्यायालय की अनुमति से खोला गया। गवाह ने बयान पर अपने फोटो की शिनाख्त की। गवाह को उसका बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि मैंने यही बयान मजिस्ट्रेट साहब को दिया था। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 28 अ पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की। इस बयान पर **प्रदर्शक-2** अंकित किया गया।”

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 3 महीपाल को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 3 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

“घटना दिनांक 03-06-2020 की है। समय शाम 08.30 बजे का था। मैं ड्यूटी करके अपने घर जा रहा था। मैं जब घर पर पहुँचा था तो मुल्जिमान सुन्दर सिंह, भूरा, प्रहलाद, अजय विजय, अमित सिंह मेरे भाई ओमवीर से मारपीट कर रहे थे। मैंने अपने भाई को बचाया था तो इन लोगों ने मेरी वर्दी फाड़ दी। मेरी भतीजी योगिता के साथ भी इन लोगों ने मारपीट की थी। मेरी भतीजी के कपड़े फाड़ दिये थे। इन सभी अभियुक्तगण के हाथों में लीठ, डण्डे थे। सभी ने लाठी, डण्डों से मारपीट की थी। मारपीट में मेरी वर्दी फटी थी। मारपीट की थी। इस घटना की रिपोर्ट ओमवीर सिंह ने थाना में की थी। सी०ओ० साहब ने मेरा बयान लिया था। मेरी भतीजी योगिता ने 112 नम्बर पर काल किया था। पुलिस मौके पर आयी थी। पुलिस ने भूरा, सुन्दर, अजय को पकड़ लिया था। बाकी लोग भाग गये थे। पुलिस इन तीनों को साथ ले गयी थी।”

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 4 सोनवीर सिंह को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 4 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

“घटना दिनांक 06-03-2020 की है। घटना आज से दो-तीन साल पुरानी है। फिर कहा कि ठीक से तारीख याद नहीं है। समय शाम 08.30 बजे या 09.00 बजे की है। मैं अपने घर पर था। मेरे भाई ओमवीर के घर पर आवाज सुनाई दी तो मैं वहाँ पहुँच गया था। वहाँ पर मुझे प्रहलाद सिंह, अजय कुमार, विजय कुमार, सुन्दर सिंह, अमित, भूरा सिंह मिले। यह लोग मेरे भाई ओमवीर सिंह उनकी पुत्री योगिता, मेरे भाई महीपाल सिंह के साथ मारपीट कर रहे थे। गाली गलौज कर रहे थे। जाति सूचक शब्द का प्रयोग चमार ढेडा कह रहे थे। मारपीट यह लोग लाठी डण्डो से कर रहे थे। मैं मौके पर पहुँच गया था। मैंने बीच बचाव किया था। एक चाटा मेरे भी प्रहलाद सिंह ने मारा था। मुझे जाति सूचक शब्द चमरा ढेडा कहकर अपमानित किया था। शोर सुनकर और लोग आ गये थे तो मुल्जिमान सभी भाग गये थे। घटना की रिपोर्ट मेरे भाई ओमवीर ने थाना पर लिखाई थी।”

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 5 देवेन्द्र कुमार विवेचक को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 5 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

“मैं दिनांक 07-08-2020 को पुलिस उपाधीक्षक टूण्डला के पद पर नियुक्त था। उस दिन मैंने मु०अ०सं० 182/2020 धारा 147,148,452,323,354 ख भा०दं०सं० व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट एवं धारा 3(2) 5 एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम अजय कुमार जाट की विवेचना ग्रहण की थी। नकल, नकल रपट, बयान एफ०आई०आर० लेखक रोहितास सिंह, बयान वादी ओमवीर सिंह अंकित किये। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया, जो पत्रावली पर मौजूद है, जिसकी गवाह ने पुष्टि की, जिस पर प्रदर्शक-3 डाला गया। स्वतंत्र साक्षी रामजीलाल, भंवर सिंह अंकित किये। बयान महिपाल, पीड़िता कु० योगिता, एस०आई० गीता कुमारी अंकित किये। पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० का अवलोकन किया। बयान स्वतंत्र गवाह सुनील कुमार, जसवीर, नवीनपाल सिंह, सुखवीर, कप्तान सिंह, नरायन सिंह, बयान प्रधानाचार्य श्रीमती सरिता माथुर अंकित किये। नामित अभियुक्त अमित की नामजदगी गलत पायी गयी एवं अभियोग में धारा 354,452,148 भा०दं०सं० व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट का लोप किया

गया तथा धारा 3(2)va को धारा 3(1)द, ध, एस०सी०/एस०टी० एक्ट में परिवर्तित किया गया। नामित अभियुक्त अमित कुमार के बयान अंकित किये। अभियुक्तगण के बयान अंकित किये। विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया, जो पत्रावली पर मौजूद है। आरोप पत्र पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की। जिस पर **प्रदर्शक-4** अंकित किया गया।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबल्यू० 6 हेड का० 384 मनीराम को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबल्यू० 6 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 06-08-2020 को थाना पचोखरा पर का० क्लर्क के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने माननीय न्यायालय के आदेश से मु०अ०सं० 182/2020 धारा 147, 148, 452, 323, 354 ख भा०दं०सं० व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट एवं धारा 3(2) Va एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम अजय कुमार जाट आदि 06 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया था। मेरे बोलने पर सी०सी० रोहितास सिंह द्वारा कम्प्यूटर पर किता किया था, जिसकी चिक एफ०आई०आर० मेरे बोलने पर किता की गयी थी। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 3 अ/1 लगायत 3 अ/2 है, जो चिक एफ०आई०आर० है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर **प्रदर्शक-5** अंकित किया गया। जिसका खुलासा मैंने रोजनामचा आम में रपट नं० 47 समय 19.00 बजे किया था। जी०डी० मेरे बोलने पर सी०सी० रोहिताश सिंह द्वारा कम्प्यूटर पर किता की थी। जी०डी० पत्रावली पर मौजूद है। जिसकी शिनाख्त करता हूँ। **जी०डी० पर प्रदर्शक-6** अंकित किया गया।"

10. मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

11. प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में विधि विरुद्ध जमाव करते हुए दिनांक 03-06-2020 को समय 08.30 बजे शाम को ओमवीर जाटव एवं अन्य को स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की गयी ? क्या गालियां देकर अपमानित किया तथा जान से मारने की धमकी दी ? क्या अभियुक्तगण ने उपरोक्त अपराध यह जानते हुए कारित किया कि वादी और उसका परिवार

जाटव जाति का है एवं लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर गाली –गलौज किया ?

मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 06-08-2020 को अ०सं० 182/2020 अन्तर्गत धारा 147, 148, 452, 323, 354 ख भा०दं०सं० व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट एवं धारा 3(2) Va एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत की गयी। जिसकी प्रविष्टि रोजनामचा आम में रपट नं० 41 के रूप में समय 19.00 बजे की गयी। विवेचना उपरान्त विवेचक द्वारा आरोप पत्र विरुद्ध अभियुक्तगण अजय कुमार, विजय कुमार, सुन्दर सिंह, भूरा सिंह एवं प्रहलाद सिंह अन्तर्गत धारा 147,323,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1) द, ध, एस०सी०/एस०टी० एक्ट प्रस्तुत किया गया। संज्ञान लेने के उपरान्त अभियुक्तगण को विचारण हेतु आहूत किया गया।

घटना दिनांक 03-06-2020 को शाम 08.30 बजे की अभिकथित है। वादी पी०डब्लू० 1 (Informant) ओमवीर जाटव को पी०डब्लू० 1 के रूप में परीक्षित किया गया, जिसने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि घटना दिनांक 03-06-2020 को समय 08.30 की है। घटना के सम्बन्ध में कथित रूप से रिपोर्ट लिखाने थाने गया, किन्तु रिपोर्ट थाने पर नहीं लिखी गयी। तत्पश्चात् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया, फिर भी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। अन्ततः उसके द्वारा न्यायालय में प्रकीर्ण वाद सं० 124/20, ओमवीर बनाम अजय कुमार आदि अन्तर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० पत्रावली पर प्रदर्श क-1 है। न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरान्त आदेश दिनांक 07-07-20 पारित करते हुए सम्बन्धित थाना प्रभारी को आदेशित किया गया है कि समुचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विचारण अग्रसारित किया जाये। उल्लेखनीय है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० दिनांक 03-07-20 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। लगभग 30 दिनों के उपरान्त उपरोक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इससे पूर्व वादी पी०डब्लू० 1 द्वारा रजिस्टर्ड डाक से सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को प्रेषित की गयी। उपरोक्त प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० में वादी द्वारा यह अंकित

नहीं किया गया है कि घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने के लिए थाने गया हो और यदि गया तो किस तिथि और दिवस को गया है। स्पष्ट है कि कथित घटना के सम्बन्ध में वादी थाने पर नहीं गया और मात्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर अपने दायित्वों की इतिश्री कर ली। उपरोक्त प्रार्थना पत्र 156(3) द०प्र०सं० विद्वान अधिवक्ता द्वारा तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी हेड कान्सटेबल 384 मनीराम को पी०डब्लू० 6 के रूप में परीक्षित किया गया है, जिसने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि "मैं दिनांक 06-08-2020 को थाना पचोखरा पर का० क्लर्क के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने माननीय न्यायालय के आदेश से मु०अ०सं० 182/2020 धारा 147, 148, 452, 323, 354 ख भा०दं०सं० व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट एवं धारा 3(2) Va एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम अजय कुमार जाट आदि 06 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया था। मेरे बोलने पर सी०सी० रोहितास सिंह द्वारा कम्प्यूटर पर किता किया था, जिसकी चिक एफ०आई०आर० मेरे बोलने पर किता की गयी थी। चिक एफ०आई०आर० पर **प्रदर्श क-5** अंकित किया गया। जिसका खुलासा मैंने रोजनामचा आम में रपट नं० 41 समय 19.00 बजे किया था। जी०डी० मेरे बोलने पर सी०सी० रोहिताश सिंह द्वारा कम्प्यूटर पर किता की थी। **जी०डी० पर प्रदर्श क- 6** अंकित किया गया। प्रति-परीक्षा में कहा कि सी०ओ० साहब ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। जी०डी० पर मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं। वादी पी०डब्लू० 1 ओमवीर सिंह के साक्ष्य में आया है कि इस घटना के सम्बन्ध में उसके द्वारा 112 नम्बर पुलिस को फोन किया गया। पुलिस आ गयी थी, अजय और सुन्दर सिंह को पकड़ कर ले गयी थी। शेष लोग भाग गये थे। यहाँ पर प्रश्न यह है कि यदि डायल 112 पर काल की गयी है कथित रूप कुछ अभियुक्तगण पुलिस द्वारा पकड़ लिये गये तो क्या स्थानीय पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में कोई विधिक कार्यवाही की गयी अथवा नहीं, इसका कोई प्रमाण अथवा साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। वादी पी०डब्लू० 1 की पुत्री पी०डब्लू० 2 कु० योगिता ने भी अपने साक्ष्यों में कहा कि जब लोग मारपीट कर रहे थे पुलिस आ गयी थी। पुलिस ने पूछताछ किया था। उसकी पुत्री ने भी थाने पर जाने का कथन किया है किन्तु थाने की कोई भी रोजनामचाआम की डायरी

प्रस्तुत नहीं की गयी है कि घटना वाले दिन वादी और उसकी पुत्री थाने पर गये थे या नहीं ? स्पष्ट है कि वादी द्वारा विधिक विचार विमर्श के उपरान्त न्यायालय में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की बाबत प्रार्थना पत्र दिया गया है। अनुचित विलम्ब का कोई यथोचित कारण अभियोजन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया गया है। यदि स्थानीय पुलिस ने तत्काल कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया तब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र प्रेषित करने के उपरान्त तत्परता के साथ न्यायालय में प्रार्थना पत्र क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया ?

पी०डब्लू० 1 ओमवीर सिंह ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि घटना दिनांक 03-06-2020 की है। समय रात्रि 08.30 बजे का था। मैं अपने परिवार के साथ बैठकर घर के अन्दर खाना खा रहा था। तभी अजय, विजय, सुन्दर सिंह, भूरा सिंह, प्रहलाद सिंह, अमित कुमार एक राय होकर आये जिनके हाथ में लाठी, डण्डा, सरिया थी। आते ही इन्होंने माँ बहन की गंदी-गंदी गालियां दी, चमार डेड जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। मैंने गाली देने से मना किया तो मुझे सभी लोगों ने मारापीटा लाठी डण्डों से मारापीटा। तभी मेरी बेटी योगिता बचाने आयी तो अजय ने मेरी लड़की योगिता को बुरी नीयत से पकड़ लिया। तो अजय कुमार ने मेरी लड़की योगिता का टुपट्टा खींच दिया और अश्लील हरकत की और योगिता को जमीन पर डाल लिया। तभी मेरा भाई महीपाल सिंह होमगार्ड ड्यूटी करके आया तो उसे भी मारापीटा। सभी लोगों ने मारापीटा और मेरे भाई की वर्दी फाड़ दी। सभी मुल्जिमानों ने कहा कि साले आज तो बच गया है, फिर किसी दिन तेरी लड़की को उठाकर ले जायेंगे और तेरे परिवार और तुझे जिन्दा जला देंगे। फिर मैंने 112 नम्बर पुलिस पर फोन किया था। तो पुलिस आ गयी थी। अजय और सुन्दर सिंह को पकड़ कर ले गयी थी। शेष लोग भाग गये थे। मारापीट में मेरे, मेरे भाई व मेरी बेटी को चोटें आयी थी। पुलिस ने हमारा मेडिकल कराया था। थाने पर मैं रिपोर्ट लिखाने गया था, लेकिन पुलिस ने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी थी। उसके बाद मैं एस०एस०पी० महोदय के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया था। लेकिन फिर भी रिपोर्ट नहीं लिखी थी। उसके बाद मैं दबरई न्यायालय आया था रौ वकील के माध्यम से न्यायालय में रिपोर्ट कराने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 156(3)द०प्र०सं० दिया था। न्यायालय के आदेश से थाना पर रिपोर्ट दर्ज

हुई थी। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3)द०प्र०सं० पर प्रदर्श क-1 डाला गया। प्रति-परीक्षा में साक्षी ने कहा कि जिस समय घटना हुई थी उस समय घटना स्थल पर मेरे अलावा मेरी बेटी कु० योगिता, मेरा भाई महीपाल थे। मेरे पिता नरायन सिंह घर पर थे, खाना खा रहे थे। घटना करीब शाम के 08.30 बजे की थी। लाइट जल रही थी। आसमानी अंधेरा नहीं था। लाइट मेरे घर में जल रही थी। बाहर मेरे भाई के मकान पर जल रही थी। पड़ोसी के मकान पर भी लाइट जल रही थी। बरामदे के पाये छज्जे पर लाइट जल रही थी। यह मकान अशफीलाल का था।----- अजय के हाथ में डण्डा था। विजय के हाथ में डण्डा था। सुन्दर के हाथ में लाठी थी और लोग खाली हाथ साथ में थे। डण्डे 3-4 फुट के थे। लाठी 5-6 फुट की थी। मुझे सभी अभियुक्तगण ने मारा था मेरे भाई को भी मारापीटा था। मेरे कितने डण्डे पड़े थे, गिनती नहीं बता सकता हूँ। मेरे भाई के कितने डण्डे पड़े थे मुझे गिनती नहीं मालूम है। मेरे भाई की वर्दी फाड़ दी थी। मेरे कपड़े भी फाड़ दिये थे। अग्रेतर कहा कि मेरे शरीर पर 8-10 चोटें मारपीट में आई थी। भाई की मुझे चोटे नहीं मालूम कितनी आयी थीय उसके भी चोटें आयी थी। मारपीट के समय फोन किया था। पुलिस आ गयी थी। मारपीट के बाद पुलिस 10-15 मिनट बाद आ गयी थी। जब पुलिस आयी थी तब अभियुक्तगण गाली-गलौज करके भाग गये थे। साले चमरा ढेडा आज तू बच गया है, तो तुझे तेरी बेटी को जिन्दा जला देंगे। यह बात मैंने पुलिस को बतायी थी। पुलिस वाले मुझे थाना लेकर नहीं गये थे और मैं थाना गया था। थाना पर जाकर मैंने चोटे दिखायी थी। डाक्टरी के लिये थाना से मुझे नहीं भेजा था। पुलिस ने कहा था तुम घर चले जाओ कल देखेंगे। पुलिस के कहने के अनुसार मैं अपने घर चला आया था। डाक्टरी परीक्षण कराने में स्वयं अस्पताल गया था। डाक्टरी मुआयना मैंने पुलिस को नहीं दिये थे। क्योकि डाक्टर ने कोई भी मेडिकल कागज मुझे नहीं दिया था। केवल मुझे गोली दी थी। चोटों के घाव मेरे शरीर पर हुए थे। मेरे कमर में, पैरो के घुटनों पर तथा सिर में भी घाव हुए थे। इन सभी जगहों पर पट्टी नहीं बंधी थी। सिर में पैरों में पट्टी बंधी थी। प्राइवेट इलाज कराया था। डाक्टर का नाम नहीं मालूम है। मैंने इलाज दो-तीन जगह डाक्टरों से कराया था। मैं किसी डाक्टर का नाम नहीं जानता हूँ। मेरे भाई ने डाक्टर से इलाज बाद में कराया था। मेरे भाई के बांह में चोटें आई थी।

उसने कहा इलाज कराया था नहीं पता है। दूसरे दिन सुबह मैं थाना गया था। मेरा भाई बेटी साथ में थाना गये थे तथा 2-3 लोग साथ में गये थे। उनके नाम ध्यान नहीं हैं। थाना से मैं 11.00 बजे करीब घर लौट आया था। थाना पर तहरीर लिखकर दी थी। तहरीर थाना पर रख ली थी। उसकी कोई भी फोटोकापी मैंने पत्रावली पर नहीं लगायी है। लौटने के बाद फिर मैं थाना नहीं गया था। फिर मैं कभी भी थाना नहीं गया था। पुलिस ने मुझे थाना पर बुलाया था। तब मैं थाना गया था। मेरी बेटी भी थाना गयी थी। मुझे तथा बेटी को किस तारीख महीना सन् को थाना पर बुलाया था ध्यान नहीं है। घटना के करीब एक महीना बाद थाना पर बुलाया था। एक महीना तक मेरे यहाँ पर कोई भी पुलिस घर पर नहीं आयी थी। पुलिस मेरे घर पर नहीं आयी थी। सी०ओ० साहब आये थे। महीना लगभग अगस्त या जुलाई का था। सी०ओ० साहब ने मेरे घर पर आकर पूछताछ की थी। पूछताछ करने के बाद वापिस चले गये थे, फिर कभी दरोगा जी मेरे पास वापिस नहीं आये थे। पी०डब्लू० 1 वादी ने अग्रेतर कहा कि अभियुक्तगण से पहले से मेरी कोई भी रंजिश नहीं है मैं और अभियुक्तगण एक ही गाँव के रहने वाले हैं।----- अग्रेतर कहा कि मेरे भाई का मकान व मेरा मकान अलग-अलग हैं। मेरा मकान व भाई का मकान व आमने-सामने हैं। -----घटना दोनों के दरवाजों के बीच में नहीं हुई थी, मेरे घर में हुई थी। जिस समय घटना हुई थी। उस समय मेरा भाई ड्यूटी से आ गया था। अभियुक्तगण पहले आ गये थे। मेरा भाई बाद में आया था। अभियुक्तगण से मेरा भाई 05 मिनट बाद आ गया था। 05 मिनट अभियुक्तगण मारपीट करते रहे थे। जब मेरा भाई आया तो उसको भी मुल्जिमानों ने मारापीटा था। उसकी वर्दी फाड़ दी थी। मुल्जिमान ने मेरे भी कपड़े फाड़ दिये थे। अभियुक्त अजय ने मेरे कपड़े फाड़े थे। वर्दी अजय ने मेरे भाई की फाड़ी थी। अजय ने ही योगिता का टुपट्टा खींचा था। मेरी चोटों से खून निकला था। मेरे भाई की चोटों से खून निकला था। मेरे खून से कपड़े खराब हो गये थे। मेरे कपड़े पैन्ट-शर्ट खून से खराब हो गये थे। भाई का वर्दी खून से खराब हो गयी थी। खून से सने कपड़े मैंने पुलिस वालों को दिखाये थे। पुलिस वालों ने वह कपड़े देखे थे। देखने के बाद कपड़े सील नहीं किये थे। मेरे तथा मेरे भाई के कपड़े खून से सने सी०ओ० आफिस में देखे थे। मेरे साथ मेरा भाई भी था। कपड़े देखने के बाद सी०ओ० साहब ने कहा कि

आज घर जाओ और हम दोनों कपड़े पहनकर घर चले आये थे। ना तो सी०ओ० साहब ने कपड़े माँगे और ना मैंने दिये। मैं दिनांक 04-06-20 को कपड़े खून से सने दिखाने सी०ओ० आफिस में गया था।----- अग्रेतर कहा कि एस.सी.पी. के पास मैं कभी नहीं गया। मैंने रजिस्ट्री भेजी थी। रजिस्ट्री भेजने की तारीख, महीना, सन् नहीं याद है। जो रजिस्ट्री भेजी थी वह टाइप करायी थी। वह दीवानी फिरोजाबाद पर करायी थी। टाइप करने वाले को मैंने पहले से नहीं जानता था। वकील साहब ने टाइप करने वाले को बताया था----- मुझे यह याद नहीं है कि रजिस्ट्री करने के कितने दिन बाद प्रार्थना पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। प्रार्थना पत्र न्यायालय में मैंने खुद डाला था। वकील भी मेरे साथ थे। वकील ने प्रार्थना पत्र पढा था या नहीं वह नहीं बता सकता है। मेरे सामने प्रार्थना पत्र नहीं पढा था। न्यायालय में किस दिनांक , महीना, सन् को प्रार्थना पत्र दिया नहीं पता है। अग्रेतर कहा कि न्यायालय में जो प्रार्थना पत्र दिया था उसमें मैंने अभियुक्तगण के हाथों में सरिया नहीं लिखाया था , डण्डा, लाठी लिखाया था। न्यायालय में भी मैंने अपने बयान में अभियुक्तगण के हाथों में डण्डा, लाठी बताया था सरिया नहीं बताया अगर मेरे बयान में सरिया अभियुक्तगण के हाथों में लिख गया है तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता हूँ।

पी०डब्लू० 2 के रूप में कु० योगिता को परीक्षित किया गया है। पी०डब्लू० 2 कु० योगिता ने शपथपूर्वक कथन किया है कि "घटना दिनांक 03-06-20 की है। समय 08.30 बजे शाम का था। मैं अपने घर पर थी। वहाँ पर अजय, विजय, भूरा, प्रहलाद सिंह, सुन्दर, अमित आ गये। इन लोगों ने घर पर आकर माँ बहन की गालियाँ देते हुये ढेड चमार कहते हुये घर में घुस आये। इन लोगों ने लाठी, डण्डों से मेरे पापा ओमवीर सिंह, चाचा महीपाल सिंह, चाचा सोमवीर सिंह के साथ मारपीट की। सभी लोगों ने लाठी, डण्डों से मारपीट की थी। मेरे साथ भी सभी लोगों ने मारपीट की थी। अजय ने मेरा टुपट्टा खींच कर मुझे जमीन पर गिरा लिया था। जिससे मेरे कपड़े फट गये थे। कपड़े मेरे अजय ने फाड़े थे। बाकी मुल्जिमानों ने मेरे साथ मारपीट की थी। मौके पर भीड़ भाड़ हो गयी थी। लोग आ गये थे। पुलिस वालों ने मेरे बयान लिया था। मेरा न्यायालय में मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान हुआ था। बयान धारा 164 द०प्र०सं०

लिया था। बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० पर साक्षी ने पहचान किया, जिस पर प्रदर्श क-2 डाला गया। प्रति-परीक्षा में साक्षी ने कहा कि मैं इण्टर तक पढी हूँ। घटना वाले दिन मेरे घर पर मेरे पापा, चाचा थे। पापा और चाचा खाना खा रहे थे। मैं खाना खा रही थी। खाना पहले बनाकर रख लिया था। मेरी मम्मी नहीं हैं। मेरी चाची, चाचा का मकान अलग है। वह मेरे मकान के बगल में है।-----जब हम लोग खाना खा रहे थे उससे पहले भी मुल्जिमान मेरे घर पर आये थे, जानकारी नहीं है। अभियुक्तगण जब आये थे तो गाली-गलौज करते गली में अन्दर घुस आये थे। गाली-गलौज किसी के नाम को लेकर नहीं दे रहे थे। घर में घुसे तभी गालियां मुल्जिमान दे रहे थे। डेढ, चमार कह रहे थे। जब यह मुल्जिमान गाली दे रहे थे तो मौहल्ले के लोग इकट्ठे हो गये थे। तब गली में मारपीट हुई थी तो भीड़ हो गयी थी। मैं मारपीट में गिरी नहीं थी। घटना दिन की नहीं है रात की है। रात में रोशनी थी। लाइट जल रही थी। चाचा के घर के सामने और हमारे घर के सामने लाईट जल रही थी। लाईट बिजली की थी। उस समय बिजली थी। सबसे पहले मारपीट अजय, विजय ने शुरू की थी। गिरेबान चाचा का पकड़ा था। यह लोग चाचा को मारने लगे। पापा ने मैंने चाचा को बचाया था। मारपीट एक या डेढ घण्टा चली थी। मारपीट में मेरे, पापा, चाचा के चोटें आयी थी। मेरे पैर के घुटने में तथा सिर में चोट आयी थी। दोनों चोटों से खून निकला था। खून से कपड़े खराब हो गये थे। अग्रेतर कहा कि जब यह लोग मारपीट कर रहे थे तभी पुलिस आ गयी थी। पुलिस ने बीच बचाव किया था। पुलिस मुझे तथा पापा, चाचा को थाना ले गयी थी। थाने से डाक्टरी के लिये सरकारी अस्पताल भेजा था। सरकारी अस्पताल कहाँ का था, ध्यान नहीं है। सरकारी अस्पताल में मैं दो दिन भर्ती रही थी। पापा के पट्टी लगायी थी। चाचा के पट्टी लगायी थी। वह लोग घर चले आये थे। अग्रेतर कहा कि मुझे चारों मुल्जिमान ने मारा था। पापा को चारों मुल्जिमान ने मारा था। चारों ने ही मेरे चाचा को मारा था। पुलिस मेरे घर पर आधा घण्टा रुकी थी। लाठी सभी मुल्जिमानों के हाथों में थी। सरिया प्रहलाद सिंह के हाथ में थी। अग्रेतर कहा कि घटना वाले दिन मैं थाने गयी थी। थाना सुबह भी गयी थी और शाम को भी गयी थी। सुबह थाना 09.00 या 10.00 बजे गयी थी। शाम को थाना 04.00 बजे करीब गयी थी। इसके बाद मैं एक बार और थाना गयी थी। यह मुझे नहीं मालूम है

कि मैं किस तारीख, महीना, सन् में गयी थी। दोबारा मैं थाना घटना के एक दिन बाद गयी थी। फिर मैं कभी भी थाना नहीं गयी थी। जब झगड़ा हो गया था तब पुलिस आ गयी थी। मेरे घर पर पुलिस आधा घण्टा करीब रुकी थी। जिस समय पुलिस आयी थी उस समय अभियुक्तगण मेरे ही घर पर थे। मारपीट में मैं बेहोश हो गयी थी। मुझे एक घण्टा बाद होश आया था। जब मुझे होश आया था तब मेरे घर वालें थे और कोई नहीं था। मुझे 06 लोगों ने सभी अभियुक्तगण ने मारा था। अजय ने टुपट्टा खींचकर जमीन पर गिरा दिया था। मुझे यह जानकारी नहीं है कि अभियुक्तगण ने किस अभियुक्त ने कितने लाठी, डण्डा, सरिया मारी थी। इस मारपीट में मेरे तथा मेरे चाचा के कपड़े फटे थे। मारपीट से मेरे सिर में तथा घुटनों में खून निकला था। खून से मेरे कपड़े खराब हुये थे। खून से जो कपड़े खराब हुए थे वह पुलिस को दिखाये थे। पुलिस ने खून से सने कपड़ों को सील किया था। मेरे चाचा के कपड़े व मेरे कपड़ों को पुलिस ने सील कर नहीं ले गये थे। सील करके कपड़े पुलिस वाले हमें दे गये थे। दुबारा कभी कपड़े सील को पुलिस लेने नहीं आयी थी। मुझे यह जानकारी नहीं है कि मेरे पापा सील बण्डल कपड़ों को थाना पर देकर आये ते या नहीं। सील बण्डल कपड़े फेक दिये थे।----- प्रहलाद आदि घटना वाले दिन एक ही बार मेरे घर पर आये थे। मुझे यह जानकारी नहीं है कि अभियुक्तगण घटना वाले दिन कथित घटना से पूर्व मेरे घर पर आये हो और मेरे चाचा के बारे में पूछा हो और मैंने उनसे मना कर दिया हो कि चाचा घर पर नहीं है और वह वापिस चले गये हो। पी०डब्लू० 2 कु० योगिता का बयान अन्तर्गत धारा 164 विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांक 17-08-20 को अंकित किया गया। जो निम्नवत है-

“दिनांक 03-06-20 को मेरे पिता की प्रहलाद सिंह से लड़ाई हो गयी थी। मैं अपने पापा को बचाने के लिए वहाँ पर गयी। लड़ाई मेरे घर में अन्दर हुई। अजय, विजय, सुन्दर सिंह, भूरा, अमित, प्रहलाद सिंह मुझे गाली दिये और कहा साली चमरिया। इन सभी लोगों ने मेरे साथ मारपीट की थी। मुझे धरती पर गिराकर चांटे मारे थे। इन लोगों ने मेरा टुपट्टा खींचा, मेरे चाचा के कपड़े फाड़कर मारपीट की। जाते समय इन लोगों ने धमकी दी कि तेरी लड़की को उठाकर ले जायेंगे।

तेरे घर में आग लगा देंगे। आज भी जब मैं मंदिर गयी थी तब तो सुन्दर ने मुझे गाली दी कि कुतिया तू भी बच गयी थी मैंने उससे कुछ कहा नहीं। मुझे और कुछ नहीं कहना है।"

पी०डब्लू० 2 कु० योगिता के बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० अंकित किया गया जो निम्नवत है: -

"मेरा नाम कु० योग्यता, ग्राम छितरई थाना पचोखरा जनपद, फिरोजाबाद की रहने वाली हूँ, मेरी उम्र करीब 17 वर्ष है और मैं कक्षा 10 तक पक्षी हूँ। मैं अपने घर पर परिवार के साथ खाना खा रही थी। उसी समय करीब 8:30 बजे दिनांक 03-06-20 को अजय पुत्र प्रहलाद सिंह, विजय पुत्र प्रहलाद सिंह, सुन्दर पुत्र प्रहलाद सिंह, भूरा पुत्र प्रहलाद, निवासी- छितरई थाना पचोखरा जनपद, फिरोजाबाद के लोग मेरे घर पर आये तो कहने लगे जाति सूचक शब्द कहकर मुझ प्रार्थिया से पूछा कि तेरे चाचा जी महिपाल पुत्र श्री नारायण सिंह कहां हैं और मैंने बताया कि मेरे चाचा जी ड्यूटी पर गये हैं। उसी समय जब तेरे चाचा घर पर आ जाये तो हमारे घर पर भेज देना। तो मैंने कहा कि हमारे चाचा जी अब नहीं आयेगे क्योंकि रात हो रही हैं, लेकिन सुबह आ जायेंगे। उसके बाद वह सभी लोग अपने घर पर चले गये। फिर कुछ देर बाद वह सभी लोग दुबारा वापस आ गये। वो सभी गाली गलौज करते हुए दरवाजे पर खड़े थे। उसके बाद मैं कु० योगिता व मेरे पापा ओमवीर पुत्र नारायण सिंह व मेरे चाचा जी महिपाल सिंह व मेरे चाचा सोनवीर सिंह पुत्र नारायण सिंह घर से बाहर आये। तो उन सभी लोगो मेरे चाचा जी महिपाल सिंह का गलेबान पकडकर खींचा और उनके कपडे फाड दिये और सभी लोगो से खींचातानी होने लगी। उसके बाद मैं अपने घर वालो को बचाने आयी तो उन सभी लोगो ने मेरे को पकड़ा और मेरे कपडों को फाड दिया और मुझे जमीन पर गिरा दिया और मेरे साथ छेडछाड करने लगे। तब मेरे बाबा नारायण सिंह व मेरे पापा ओमवीर सिंह ने मुझे बचाया। यही मेरा बयान है।"

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 3 के रूप में महीपाल सिंह को परीक्षित किया गया है। पी०डब्लू० 3 ने शपथपूर्वक अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "घटना दिनांक 03-06-2020 की है। समय शाम 08.30 बजे का था। मैं ड्यूटी करके अपने घर जा रहा था। मैं जब घर पर पहुँचा था तो मुल्जिमान सुन्दर सिंह, भूरा, प्रहलाद, अजय विजय, अमित सिंह मेरे भाई ओमवीर से मारपीट कर रहे थे। मैंने अपने भाई को बचाया था तो इन लोगों ने मेरी वर्दी फाड़ दी। मेरी भतीजी योगिता के साथ भी इन लोगों ने मारपीट की थी। मेरी भतीजी के कपड़े फाड़ दिये थे। इन सभी अभियुक्तगण के हाथों में लीठ, डण्डे थे। सभी ने लाठी, डण्डों से मारपीट की थी। मारपीट में मेरी वर्दी फटी थी। मारपीट की थी। इस घटना की रिपोर्ट ओमवीर सिंह ने थाना में की थी। सी०ओ० साहब ने मेरा बयान लिया था। मेरी भतीजी योगिता ने 112 नम्बर पर काल किया था। पुलिस मौके पर आयी थी। पुलिस ने भूरा, सुन्दर, अजय को पकड़ लिया था। बाकी लोग भाग गये थे। पुलिस इन तीनों को साथ ले गयी थी। प्रति-परीक्षा में कहा कि घटना वाले दिन मेरी ड्यूटी टूण्डला थाना पर थी। मेरी ड्यूटी 08.00 बजे शुरू हुई थी और शाम के 08.00 बजे तक ड्यूटी थी। मैं थाना से घर चला आया था। मैं घर पर पहुँचा था तब अभियुक्तगण मेरे घर पर झगड़ा कर रहे थे। अभियुक्तगण मेरे पहुँचने से घर पर करीब घण्टे पहले आये थे मुझे जानकारी नहीं है। जब मैं घर पर पहुँचा तो मुझसे पहले सारे मौहल्ले के लोग नहीं आये थे। मेरे घर पर मेरी मम्मी, पापा, बड़ा भाई ओमवीर सिंह, भतीजी योगिता थे। जब मैं पहुँचा था, घर पर तब मारपीट हो रही थी। जब मैं पहुँचा था तब मेरी भतीजी व भाई से मुल्जिमान मार रहे थे। मेरे माता-पिता को किसी ने नहीं मारा था। वह घर के अन्दर थे। झगड़ा घर में गैलरी में हो रहा था। गैलरी खुली हुई है। जब मैं पहुँचा था तब मेरे भाई और भतीजी के चोटें आ चुकी थी। मेरे भाई के कितनी चोटें थी मैंने यह नहीं देखा था। भतीजी के कितनी चोटें थी नहीं देखा था। मेरी वर्दी फाड़ दी थी। वर्दी मेरी अजय, सुन्दर, भूरा, प्रहलाद सिंह ने फाड़ी थी। वर्दी के टुकड़े नहीं हुये थे। जेब फट गयी थी, कालर फट गया था। शर्ट ही शर्ट फटी थी। पैन्ट नहीं फटी थी। मेरे सामने करीब 15 - 20 मिनट झगड़ा हुआ था। इन 15-20 मिनट के झगड़े एवं पूर्व झगड़े में मौहल्ले का कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। इस घटना के बाद पुलिस 15-20 मिनट बाद आधा

घण्टा बाद आ गयी थी। जिस समय पुलिस आयी थी उस समय सभी अभियुक्तगण घटना स्थल पर नहीं थे, गली में खड़े थे। झगड़े के स्थान से 200 मीटर दूरी पर अभियुक्तगण खड़े थे। पुलिस आई थी, तब अभियुक्तगण के हाथ में लाठी, डण्डा थे। पुलिस को देखकर लाठी, डण्डा फेंक दिये थे। पुलिस ने लाठी, डण्डा नहीं उठाये थे। पुलिस ने अजय, सुन्दर, प्रहलाद को पकड़ा था। पुलिस पकड़कर थाने ले गयी थी। थाना की जीप से लेकर गयी थी। 112 डायल के अलावा थाना की पुलिस भी मौक पर आ गयी थी। थाना पर मेरी भतीजी ने फोन किया था। फोन मेरी भतीजी ने 112 डायल पर व थाना पर मेरे सामने किया था। फोन झगड़ा समाप्त होने के बाद किया था। अग्रेतर कहा कि थाने की पुलिस से और डायल 112 की पुलिस से मेरी बात नहीं हुई थी। मेरे भाई की भी बातचीत नहीं हुई थी। भतीजी की बातचीत हुई थी। अभियुक्तगण को पकड़कर साथ ले गये थे। अग्रेतर कहा कि मैंने सी०ओ० साहब को फटी वर्दी घटना के सुबह दिखायी थी। मैं सी०ओ० साहब के आफिस वर्दी दिखाने खुद गया था। सी०ओ० साहब मौके पर नहीं आये थे। घटना के बाद मैं थाना नहीं गया था। मेरा भाई मेरी भतीजी थाना गयी थी। मेरी भतीजी थाना पर उन्हीं फटे हुये कपड़ो को पहन कर गयी थी। भतीजी का क्या कपड़ा फटा था मुझे जानकारी नहीं है। यह तो भतीजी को ही पता होगा। मेरे भाई ने थाना पर शाम को रिपोर्ट की थी या नहीं मुझे नहीं मालूम है, पर शाम को रिपोर्ट करने गया था। मेरा कोई भी डाक्टरी मुआयना नहीं हुआ था। मेरी वर्दी फटी थी मेरे कोई भी चोटे नहीं थी। भाई का, भतीजी का डाक्टरी मुआयना हुआ था या नहीं मुझे नहीं पता है। मेरे घर पर मेरे सामने कभी पुलिस नहीं आयी थी। मैं ड्यूटी पर था और मैं कभी भी थाना भी नहीं गया था। मेरा पुलिस सी०ओ० साहब ने बयान लिया था। यह बयान मेरे घर पर लिया था। यह बयान कब लिया था ध्यान नहीं है।----- सी०ओ० साहब ने मुझसे यह पूछा था कि झगड़ा हुआ था। झगड़ा मेरी भतीजी से हुआ था। अग्रेतर कहा कि मुझे यह ध्यान नहीं है कि मैंने ऐसा कोई बयान सी०ओ० साहब को दिया कि मैं ड्यूटी पर जाता था तो सुन्दर सिंह मेरे घर पर आता था और मेरी पत्नी से बातचीत करता था। मैं उससे मना करता था। इसलिए मेरी भतीजी से झगड़ा किया था। मेरे आने से पहले मेरे भाई भतीजी की मारपीट की थी और मेरे आने के बाद में मेरी वर्दी फाड़ दी थी।

सी०ओ० साहब ने मेरी वर्दी भी नहीं मांगी थी।-----मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि भतीजी के फटे कपड़े सी०ओ० साहब ने लिये थे या नहीं। मैंने अपने भाई, भतीजी के चोट भी देखी थी और खून भी देखा था। भाई के खून खोपड़ी में था, पीठ पर था। खून से कपड़े भी खराब हुए थे। भाई की खून से शर्ट खराब हो गयी थी। अन्दर की बनियान नहीं देखी थी कि खून से खराब हुई थी या नहीं। भतीजी को चोट से खून निकला था। सिर से खून निकला था। भतीजी के कपड़े भी खराब खून से हो गये थे। भाई और भतीजी ने सी०ओ० साहब को खून से सने कपड़े दिये थे या नहीं मुझे जानकारी नहीं है। अग्रेतर कहा कि यह घटना रात की है। उस समय लाइट जल रही थी। लाइट खरंजे पर जल रही थी। खम्भे पर लाइट नहीं जल रही थी। दीवाल पर लाइट गली में जल रही थी। मेरे घर के दरवाजे से प्रहलाद के घर के लिये जाते हैं। प्रहलाद अपने घर के लिये जा रहा था। उसके साथ उसके लड़के भी थे। मैंने और मेरे भाई ने उसे रास्ते में पकड़ कर मारपीट की थी। फिर कहा कि घर की गैलरी में मारपीट हुई थी। साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से दिये गये सुझाव से साफतौर पर इंकार किया है।

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 4 सोनवीर सिंह ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि घटना दिनांक 06-03-2020 की है। घटना आज से दो-तीन साल पुरानी है। फिर कहा कि ठीक से तारीख याद नहीं है। समय शाम 08.30 बजे या 09.00 बजे की है। मैं अपने घर पर था। मेरे भाई ओमवीर के घर पर आवाज सुनाई दी तो मैं वहाँ पहुँच गया था। वहाँ पर मुझे प्रहलाद सिंह, अजय कुमार, विजय कुमार, सुन्दर सिंह, अमित, भूरा सिंह मिले। यह लोग मेरे भाई ओमवीर सिंह उनकी पुत्री योगिता, मेरे भाई महीपाल सिंह के साथ मारपीट कर रहे थे। गाली गलौज कर रहे थे। जाति सूचक शब्द का प्रयोग चमार ढेडा कह रहे थे। मारपीट यह लोग लाठी डण्डो से कर रहे थे। मैं मौके पर पहुँच गया था। मैंने बीच बचाव किया था। एक चाटा मेरे भी प्रहलाद सिंह ने मारा था। मुझे जाति सूचक शब्द चमरा ढेडा कहकर अपमानित किया था। शोर सुनकर और लोग आ गये थे तो मुल्जिमान सभी भाग गये थे। घटना की रिपोर्ट मेरे भाई ओमवीर ने थाना पर लिखाई थी। प्रति-परीक्षा में कहा कि मेरा मकान व सोनवीर का मकान अलग-अलग हैं। मेरे मकान का दरवाजा रास्ते की तरफ पूर्व की तरफ है।

अभियुक्तगण के मेरे मकान के पास कोई भी मकान नहीं है। मेरे मकान के सामने से रास्ता जाती है। सबसे पहले घटना स्थल पर प्रहलाद सिंह, अजय आया था। मैंने देखा था कि सबसे पहले प्रहलाद सिंह, अजय आये थे। पाँच मिनट बाद सुन्दर, विजय व भूरा आये थे और साथ में अमित भी था। अजय, विजय के आने के पहले प्रहलाद सिंह, अजय मारपीट कर रहे थे। जब मारपीट कर रहे थे, तब मैं और मेरी पत्नी मौके पर थी। ओमवीर की पुत्री योगिता थी। मारपीट गली में नहीं हो रही थी। घर के अन्दर हो रही थी। मुझे ओमवीर ने बुलाया नहीं था। मैं मारपीट की आवाज सुनकर पहुँच गया था। मैंने और मेरी पत्नी ने बचाया था। मुल्जिमान अजय और प्रहलाद के हाथों में डण्डे थे। मेरे सामने प्रहलाद ने कोई भी डण्डा नहीं मारा था। अजय ने भी कोई डण्डा नहीं मारा था। जाति सूचक शब्द कह रहे थे। बाद में विजय, अमित, शिवकुमार आये थे। इनके हाथों में भी लाठी, डण्डा थे। जब यह आये थे तो मौहल्ले के कोई भी लोग साथ में नहीं आये थे।-----मारपीट 10-15 मिनट हुई थी। फिर भाग गये थे। मैंने मारपीट के बाद भाई ओमवीर को देखा था। उनके शरीर पर घटने में चोट थी। तिल्लियों में चोट थी। कमर में चोट थी और पीठ में चोट थी। कुल ओमवीर के शरीर पर 5-6 चोटें थी। चोटों से खून निकला था। खून से कपड़े खराब थोड़े से हुये थे। योगिता के चेहरे पर चोट थी। पीट पर, टांगों में चोट थी। ओमवीर को किस मुल्जिमान ने कितने डण्डे मारे थे नहीं बता सकता हूँ तथा योगिता को किस मुल्जिम ने कितने डण्डे मारे थे नहीं बता सकता हूँ। महीपाल मारपीट के बाद मारपीट हो रही थी तभी आये थे। महीपाल मुझसे पहले से घटना स्थल पर थे। मेरे एक चाँटा मारा था। मेरे किसी ने कोई भी लाठी डण्डा नहीं मारे थे। अग्रेतर कहा कि ओमवीर को अस्पताल सरकारी में ले गये थे, टूण्डला लेकर गये थे और योगिता को भी साथ में लेकर गये थे। सरकारी अस्पताल टूण्डला में कोरोना के कारण नहीं देखा था। सरकारी अस्पताल टूण्डला सुबह 09.00 बजे या 10.00 बजे पहले गये थे। अस्पताल में थोड़ी देर रुके थे। गोली दे दी थी। कोई पट्टी नहीं की थी। कोरोना चल रहा था। दूसरी जगह ले गये थे। उस अस्पताल का नाम नहीं मालूम है, जहाँ पर पट्टी हुई थी। थाना पर मैं नहीं गया था, ओमवीर गया होगा। ओमवीर कितने बजे गया था मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं थाना के पास छोड़कर घायलों को चला आया था। मेरा बयान सी०ओ०

साहब ने घर पर लिया था। मेरा बयान किस तारीख को महीने, सन् में लिया था, नहीं पता है। मैंने सी०ओ० साहब को यह बात बतायी थी कि मैं थाना के पास से लौट आया था। अगर मेरे बयान में नहीं लिखा है तो मैं नहीं बता सकता हूँ। 112 पर काल पुलिस को किया इसलिए पुलिस घटना के बाद आ गयी थी। पुलिस घटना के कितनी देर बाद आयी थी, जानकारी नहीं है। पुलिस किसी को पकड़कर ले गयी थी या नहीं मुझे जानकारी नहीं है। घटना के बाद मैंने बुखार होने के कारण दवा खा ली थी और मैं घर पर आराम कर रहा था। इसलिए मुझे जानकारी नहीं है कि पुलिस आयी थी या नहीं। दवा खाने के बाद मैं सुबह जागा था। घटना रात की है। रात में अंधेरा था, जिस समय घटना हुई थी।

वादी पी०डब्लू० 1 ओमवीर सिंह जाटव की पुत्री कु० योगिता ने बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० में यह कथन किया है कि दिनांक 03-06-20 को वह अपने पिता को बचाने के लिये गयी। लडाई घर में पिता की प्रहलाद से हो रही थी। अन्य अभियुक्तगण ने कथित रूप से उसे गाली दिया और मारपीट किया। धरती पर गिरा दिया। इन लोगों ने कथित रूप से टुपट्टा खींचा, महीपाल के साथ भी मारपीट की और कपड़े भी फाड़ दिये। पी०डब्लू० 2 कु० योगिता न्यायालय के समक्ष घटना दिनांक 03-06-20 की समय 08.30 की होना अभिकथित किया। अभियुक्तगण कथित रूप से आये और माँ-बहन की गालियां देते हुए चमार, डेड कहा और घर में घुस आये। अग्रेतर यह भी कहा कि अभियुक्तगण ने लाठी, डण्डा से उसके पिता ओमवीर, चाचा महीपाल व चाचा सोनवीर के साथ मारपीट किया। सभी लोगों ने लाठी, डण्डा से मारपीट किया। उल्लेखनीय है कि कु० योगिता पी०डब्लू० 2 ने धारा 164 द०प्र०सं० के बयान में लाठी, डण्डों से मारपीट करने की कोई बात नहीं कही है। कथित रूप से की गयी मारपीट में पी०डब्लू० 2 के कपड़े भी फट गये। मौके पर भीड़-भाड़ भी हो गयी थी, लोग आ गये थे, किन्तु पी०डब्लू० 2 ने अपने सम्पूर्ण बयानों में यह नहीं बताया कि घटना स्थल पर आसपास के कौन-कौन लोग आ गये थे और किन-किन लोगों ने घटना को देखा। पी०डब्लू० 2 के अनुसार उसके पिता के और चाचा के अलग-अलग मकान हैं। पी०डब्लू० 2 कु० योगिता ने यह भी कहा कि जब हम लोग खाना खा रहे थे, उसके पहले भी मुल्जिमान आये थे, इसकी जानकारी नहीं है। पी०डब्लू० 2 कु० योगिता ने

बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं०, जो विवेचक द्वारा अंकित किया गया है, जिसमें उसने विवेचक को बयान दिया था कि "लोग मेरे घर पर आये तो कहने लगे जाति सूचक शब्द कहकर मुझ प्रार्थिया से पूछा कि तेरे चाचा जी महिपाल पुत्र श्री नारायण सिंह कहां हैं और मैंने बताया कि मेरे चाचा जी ड्यूटी पर गये हैं। उसी समय जब तेरे चाचा घर पर आ जाये तो हमारे घर पर भेज देना। तो मैंने कहा कि हमारे चाचा जी अब नहीं आयेगे क्योंकि रात हो रही हैं, लेकिन सुबह आ जायेंगे। उसके बाद वह सभी लोग अपने घर पर चले गये। फिर कुछ देर बाद वह सभी लोग दुबारा वापस आ गये। वो सभी गाली गलौज करते हुए दरवाजे पर खड़े थे।" पी०डब्लू० 2 कु० योगिता के बयान धारा 161 द०प्र०सं० से यह इंगित होता है कि कथित रूप से अभियुक्तगण मारपीट करने से पहले वादी के घर गये थे, किन्तु इस बात से पी०डब्लू० 2 ने अपने न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में इंकार किया और यह कहा कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि अभियुक्तगण घटना कारित करने से पहले आये थे। पी०डब्लू० 2 के अनुसार अभियुक्तगण गाली-गलौज किसी के नाम को लेकर नहीं दे रहे थे। डेड, चमार कह रहे थे। जिस समय अभियुक्तगण कथित रूप से गालियां दे रहे थे, मौहल्ले के लोग इकट्ठे हो गये, गली में मारपीट हुई। अग्रेतर कहा कि मैं मारपीट में गिरी नहीं थ ,। जबकि कु० योगिता ने अपने धारा 164 द०प्र०सं० में कहा कि "इन सभी लोगों ने मेरे साथ मारपीट की, मुझे गाली दी, मुझे धरती पर गिराकर चांटे मारे।" इस प्रकार दो परस्पर विरोधाभासी कथन पी०डब्लू० 2 ने किये हैं। पी०डब्लू० 2 कु० योगिता, वादी पी०डब्लू० 1 ओमवीर जाटव, पी०डब्लू० 3 व पी०डब्लू० 4 ने भी घटना के समय लाइट जलने का कथन किया है, किन्तु विवेचक द्वारा घटना स्थल का जो नक्शा नजरी प्रदर्शक-3 तैयार किया गया, उसमें किसी भी स्थान पर प्रकाश होने की व्यवस्था नहीं दर्शायी गयी है। जबकि कथित रूप से घटना शाम 08.30 बजे की है। पी०डब्लू० 2 कु० योगिता ने अपनी प्रति-परीक्षा में कहा कि सबसे पहले मारपीट अजय, विजय ने शुरू की थी। जबकि धारा 164 द०प्र०सं० के बयान में कहा कि मेरे पिता की प्रहलाद सिंह से लड़ाई हो गयी थी। पी०डब्लू० 1, पी०डब्लू० 2, पी०डब्लू० 3 और पी०डब्लू० 4 सभी साक्षियों ने कथित मारपीट में चोटें आने का कथन किया है, किन्तु किसी भी कथित रूप से चोटहिल का कोई

भी मेडिकल परीक्षण न तो स्थानीय पुलिस द्वारा कराया गया और ना ही चोटहिल ने प्राइवेट मेडिकल पत्रावली पर उपलब्ध कराया। पी०डब्लू० 2 कु० योगिता के अनुसार मारपीट एक या डेढ घण्टे चली थी। मारपीट में उसके पिता, चाचा और उसे चोटें आई थी। पी०डब्लू० 2 कु० योगिता को पैर के घुटने तथा सिर में चोटें आई और खून भी निकला था। खून से कपड़े खराब हो गये। उसके पिता के कोहिनी तथा सिर में चोटें आई, चाचा के सिर में चोटें आई थी। चाचा और पापा की चोटों से खून निकला था और कपड़े खराब हो गये थे, जबकि कु० योगिता, चाचा महीपाल ने अपने बयानों कहा कि मेरा कोई भी डाक्टरी मुआयना नहीं हुआ था और मेरी वर्दी फटी थी। मेरे कोई भी चोट नहीं आई थी। पी०डब्लू० 3 महीपाल को यह भी ज्ञात नहीं है कि उसके भाई, भतीजी का डाक्टरी मुआयना हुआ था या नहीं। कथित रूप से खून से सने हुए कपड़े भी विवेचक द्वारा एकत्र नहीं किये, जबकि साक्षियों के बयानों में आया है कि खून से सने हुए कपड़े सी०ओ० को दिखाये थे। पी०डब्लू० 2 कु० योगिता के बयानों में आया है कि "जब यह लोग मारपीट कर रहे थे। तभी पुलिस आ गयी थी। पुलिस ने पूछताछ किया था। पुलिस मुझे तथा पापा, चाचा को थाना ले गयी थी। थाना से डाक्टरी के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया था। सरकारी अस्पताल में मैं दो दिन भर्ती रही थी। पापा के पट्टी लगा दी थी। चाचा के पट्टी लगा दी थी। इस प्रकार कु० योगिता पी०डब्लू० 2 ने धारा 161 व 164 द०प्र०सं० के इतर न्यायालय के समक्ष बयान दिये। सरकारी अस्पताल में मेडिकल परीक्षण करवाये जाने का कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। पी०डब्लू० 2 को यह भी ध्यान नहीं है कि सरकारी अस्पताल कहा है, जहाँ मेडिकल हुआ है। धारा 164 द०प्र०सं० के बयान में उसने दो दिन आस्पताल में भर्ती रहने का कोई कथन नहीं किया है। पी०डब्लू० 2 कु० योगिता ने बेहोश होने का भी कथन किया है, किन्तु पी०डब्लू० 1 और अन्य साक्षियों ने कु० योगिता के बेहोश होने का कोई कथन नहीं किया है। पी०डब्लू० 1 ओमवीर जाटव ने लाठी, डण्डों से मारपीट करने का कथन किया है, जबकि अपनी मुख्य पुरीक्षा में सरिया का प्रयोग किये जाने का अभिकथन किया है। कु० योगिता पी०डब्लू० 2 ने सरिया का प्रयोग किये जाने का कथन किया है, किन्तु धारा 156(3)द०प्र०सं० के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना पत्र में सरिया का कोई

उल्लेख नहीं है। प्रथम बार पी०डब्लू० 2 ने कहा कि सरिया प्रहलाद के हाथों में थी, जबकि इस आशय का कोई भी कथन किसी साक्षी ने नहीं किया है। इससे यहाँ पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि कथित रूप से डायल 112 को फोन किया गया था। स्थानीय थाना की भी पुलिस आ गयी थी। पी०डब्लू० 1 ओमवीर के अनुसार अजय और सुन्दर सिंह को पुलिस पकड़कर ले गयी थी। शेष लोग भाग गये थे। दूसरी ओर पी०डब्लू० 2 कु० योगिता ने कहा कि पुलिस आई थी और अजय और सुन्दर सिंह को पकड़कर ले गयी थी तथा घटना के तत्काल पश्चात डायल 112 की पुलिस आ गयी थी और स्थानीय पुलिस आ गयी थी और कथित रूप से कतिपय अभियुक्तगण को पकड़ लिया गया था, तो किन परिस्थितियों में स्थानीय पुलिस द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी, इसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका है। घटना कथित रूप से घर के अन्दर हुई है, अस्तु यह कहा जा सकता है कि घर के भीतर का स्थान लोक दृष्टि में आने वाले स्थान नहीं है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त साक्ष्यों से स्पष्ट है कि कथित रूप से घटना घर के अन्दर हुई है और घर के बाहर नहीं हुई है, उस स्थिति में धारा 3(1) द, घ, एस०एस०/एस०टी० एक्ट के प्रावधान आकृष्ट नहीं होंगे। महीपाल सिंह पी०डब्लू० 3 होमगार्ड है तथा उनकी भी कथित रूप से वर्दी फाड़ दी गयी थी, किन्तु फटी हुई वर्दी को न तो पुलिस को दिया गया और ना ही स्थानीय पुलिस ने उसको अपने कब्जे में लिया। पी०डब्लू० 1 ओमवीर जाटव ने 112 नम्बर पर फोन करने की बात कही है, जबकि पी०डब्लू० 2 ने कहा कि मैंने 112 नम्बर पर काल किया था। कथित रूप से पी०डब्लू० 1 और पी०डब्लू० 2, पी०डब्लू० 3 और पी०डब्लू० 4 चोटहिल है, किन्तु किसी भी चोटहिल का कोई मेडिकल प्रपत्र न तो विवेचक को दिया गया और ना ही पत्रावली पर उपलब्ध कराया गया है। पी०डब्लू० 1 ने रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने पर जाने का कथन किया और यह कहा कि उसकी पुत्री भी साथ गयी थी, किन्तु थाने पर जो प्रार्थना पत्र दिया गया उसकी कोई भी प्रति पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पी०डब्लू० 1 के कथनानुसार अजय के हाथ में डण्डा, विजय के हाथ में डण्डा, सुन्दर के हाथ में लाठी और लोग खाली हाथ थे, जबकि अन्य साक्षियों के बयानों में आया है कि सभी लोगों ने लाठी, डण्डों से मारपीट की थी। पी०डब्लू० 1

के अनुसार उसके शरीर पर 8-10 चोटें आई थी। भाई को कितनी चोटें आई थी इसका उसे ज्ञान नहीं है। उसके कथनानुसार 10-15 मिनट बाद पुलिस भी आ गयी थी और उस समय अभियुक्तगण मारपीट करके भाग गये थे। प्रश्न यह है कि जब पुलिस आ गयी थी तब अभियुक्तगण यदि भाग गये थे तब किन परिस्थितियों में उसी समय अजय और सुन्दर अथवा अन्य अभियुक्तगण को पकड़ लिया गया। पी०डब्लू० 1 के अनुसार डाक्टरी के लिए उसे थाने से नहीं भेजा गया, पुलिस ने कहा कि घर चले जाओ, कल देखेंगे। जबकि अन्य साक्षियों के बयानों में आया कि पुलिस ने मेडिकल भी कराया। पी०डब्लू० 1 के साक्ष्य में आया कि डाक्टरी मुआयना मैंने पुलिस को नहीं दिया क्योंकि डाक्टर ने मुझे कोई कागज नहीं दिया था, केवल गोली दी थी। चोटों के घाव शरीर पर थे। सिर में पट्टी भी बँधी थी। प्राइवेट इलाज कराया था, कहाँ कराया था उसका नाम ज्ञात नहीं है। भाई द्वारा भी डाक्टर से इलाज कराये जाने की बात कही गयी है और उसकी बाह में कथित रूप से चोटें आई थी, किन्तु कहाँ इलाज कराया गया इसका उसे ज्ञान नहीं है। थाने पर तहरीर लिखवाकर थाने पर देने का कथन किया है, किन्तु कोई भी तहरीर पत्रावली पर नहीं है। अभियुक्तगण से कोई भी पुरानी रंजिश भी नहीं है, जबकि अभियुक्तगण और वादी पक्ष एक ही गांव में रहते हैं। पी०डब्लू० 1 ने भी कहा कि घटना मेरे घर में हुई थी। उसके अनुसार 05 मिनट अभियुक्तगण द्वारा कथित रूप से मारपीट की गयी। सभी साक्षियों के बयानों में आया है कि कथित रूप से की गयी मारपीट में खून निकला था और खून से कपड़े खराब हो गये, किन्तु विवेचक का कपड़ों को अपने कब्जे में नहीं लिया और ना ही न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पुलिस ने देखने के बाद कपड़ों को कथित रूप से सील नहीं किया। घटना वाले दिन पी०डब्लू० 1 मजदूरी करने गया था। इसका कोई ध्यान नहीं है कि कितने बजे लौटा था, बताने में असमर्थ रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी की उपस्थिति घटना स्थल पर सिद्ध नहीं है तथा वह बतान में असमर्थ है कि घटना वाले दिन मजदूरी करने कहा गया था। निश्चित रूप से वह इस तथ्य को छिपाने का प्रयास किया है कि वह मजदूरी करने कहा गया था और कितने बजे घर पर लौटकर आया था। प्रस्तुत मामले में आस-पड़ोस का कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है। जितने साक्षियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया वह वस्तुतः परिवार के सदस्य हैं तथा

हितबद्ध साक्षी हैं। येन-केन-प्रकरणे अभियुक्तगण को फंसाने का उपक्रम किया गया है। घटना कथित रूप से 03-06-20 की है जबकि न्यायालय के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने बाबत प्रार्थना पत्र लगभग एक महीने के पश्चात प्रस्तुत किया गया। यदि वास्तव में कोई घटना घटित हुई थी और स्थानीय पुलिस द्वारा कोई मुकदमा नहीं पंजीकृत किया गया, उस स्थिति में शीघ्र अति शीघ्र न्यायालय की शरण में आना उचित था, किन्तु पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त कानूनी सलाह लेने के उपरान्त न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्काल रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने का उपक्रम न करना अभियोजन कथानक को संदिग्ध एवं अविश्वसनीय बनाता है। कथित रूप से घटना समय भीड़ हो गयी थी, किन्तु किसी भी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं किया गया है। घटना स्थल पर किसी प्रकार की कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करते हुए देखे जाने का कथन पूर्णतः विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। पी०डब्लू० 2 के अनुसार मारपीट लगभग एक या डेढ़ घण्टे चली, जबकि दूसरे साक्षियों के कथनानुसार 05-10 मिनट तक मारपीट चली। लाठी, डण्डा, सरिया से किसी को चोटें पहुँचायी जाती हैं तो निश्चित रूप गंभीर चोटें आ सकती हैं, किन्तु ऐसी किसी प्रकार की चोट नहीं है और ना ही कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। घटना स्थल पर यदि तत्काल पुलिस बल आ गया तब भी स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया जाना भी अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता है। क्योंकि विवेचक पी०डब्लू० 5 देवेन्द्र द्वारा यदि विवेचना के उपरान्त साक्ष्य संकलन के उपरान्त घटनाक्रम साबित होना पाया गया और आरोप पत्र प्रेषित किया गया तब उन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही की संस्तुति क्यों नहीं की गयी, जिनके द्वारा कथित घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विवेचना अग्रसारित नहीं की गयी। झगड़े के समय स्थानीय पुलिस का आना पूर्णतः संदिग्ध प्रतीत होता है। पी०डब्लू० 5 विवेचक श्री देवेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत मामले की विवेचना अग्रसारित की गयी थी। उनके साक्ष्य में आया है कि 03-06-20 से 07-08-20 तक इस मुकदमे के वादी व अन्य कोई भी गवाह उनके समक्ष कोई शिकायत लेकर नहीं आया था, आया था या नहीं आया इसका उन्हें ध्यान नहीं है। वादी ने अपने बयानों में यह नहीं बताया

था कि अपने कपड़े फटे होने के सम्बन्ध में बताया हो। वादी ने घटना की कोई भी चोट नहीं दिखायी थी और वादी ने मेडिकल होना भी नहीं बताया है। घटना स्थल पर वादी द्वारा लाइट होना भी नहीं बताया गया था। वादी के भाई महीपाल की पत्नी के यहाँ अभियुक्त सुन्दर का आना जाना प्रकाश में आया, जिस कारण दोनों परिवारों में रंजिश थी। वादी पी०डब्लू० 1 ओमवीर सिंह जाटव से विवेचक द्वारा अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० में इस आशय के प्रश्न पूछे गये थे कि "आपके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपना तथा अपने परिवार के साथ मारपीट में काफी चोटें आयी थी क्या आपके द्वारा अपना तथा अपने किसी परिवार के व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया था अथवा नहीं ? **उत्तर-** मेरे तथा मेरे परिवार के ज्यादा चोट नहीं थी इसलिए हमने अपना मेडिकल नहीं कराया था।" वादी (Informant) उसकी पुत्री कु० योगिता, भाई महीपाल, सोनवीर के साक्ष्यों में आया है कि पुलिस द्वारा मेडिकल भी कराया गया था, किन्तु पत्रावली पर कोई प्राइवेट अथवा राजकीय चिकित्सालय का कोई भी मेडिकल प्रमाण पत्र नहीं है। इसलिए वादी और अन्य साक्षियों का यह कथन कि अभियुक्तगण द्वारा लाठी, डण्डों से पीटकर कई चोटें कारित की गयी और खून निकला तथा खून से कपड़े सन गये थे, कदापि विश्वसनीय नहीं है। पी०डब्लू० 2 को० योगिता ने न्यायालय के समक्ष यहाँ तक कह दिया है कि वह एक घण्टे बेहोश पड़ी थी तथा अस्पताल में दो दिन तक भर्ती भी रही थी। जबकि इस आशय का कोई कथन उसने विवेचक को नहीं दिया। उत्तरोत्तर अपने साक्ष्यों में सुधार किया जाता रहा है, जो साक्ष्यों की विश्वसनीयता को क्षीण करने वाला तथ्य है। इसके अतिरिक्त विवेचक द्वारा स्वतंत्र गवाह रामजीलाल का बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० अंकित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा कथन किया गया था कि "सुन्दर सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जो हमारे ही गांव का है मेरी जाति के महीपाल की पत्नी श्रीमती संगीता के यहाँ जाना है, महीपाल सिंह होमगार्ड में नौकरी करता है, जो ओणवीर का भाई है। महीपाल सिंह तथा महीपाल सिंह का भाई ओमवीर सिंह, सुन्दर सिंह से घर आने के लिए मना करते हैं, क्योंकि महीपाल के पास पाँच बच्चे हैं लेकिन सुन्दर सिंह महीपाल के द्वारा विरोध करने पर गाली-गलौज करता है। इसी बात को लेकर महीपाल सिंह व उसके भाईयों की सुन्दर सिंह में रंजिश चली आ रही है।" इसी

आशय का बयान स्वतंत्र साक्षी भँवर सिंह ने विवेचक को दिया। अजय और सुन्दर सिंह को मौके से पुलिस द्वारा पकड़ने की बात सामने आई, किन्तु स्थानीय पुलिस द्वारा न मुकदमा पंजीकृत किया गया और ना ही कोई निरोधात्मक कार्यवाही अमल में लाई गयी है। स्वतंत्र गवाह सुनील ने भी महीपाल और सुन्दर सिंह में रंजिश होने का कथन किया है। अन्य स्वतंत्र साक्षी जसवीर सिंह, नवीनपाल, सुखवीर आदि ने भी गाँव की रंजिश के सम्बन्ध में कथन किया है। उपरिवर्णित साक्ष्यों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि कथित घटना के समय प्रकाश उपलब्ध होने का कोई विश्वसनीय एवं अकाट्य साक्ष्य नहीं है। डायल 112 की पुलिस को बुलाने और साथ ही साथ स्थानीय पुलिस को आने के सम्बन्ध में शपथपूर्वक कथन किया गया है, किन्तु सम्बन्धित थाने की दैनिक डायरी इस सम्बन्ध में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे यह प्रमाणित होता कि स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और कथित रूप से अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। थाने पर जाने और तहरीर दिये जाने का कथन किया गया, किन्तु ऐसी कोई तहरीर पत्रावली पर उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 से लेकर पी०डब्लू० 4 तक सभी साक्षी एक ही परिवार के हैं। किसी आस-पास के स्वतंत्र साक्षी को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। जिस प्रकार की कथित रूप से गंभीर चोटें आना समस्त साक्षीगण ने अपने बयानों में कहा है उस सम्बन्ध में किसी भी मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट का न होना यह इंगित करता है कि साक्षीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष असत्य कथन किये गये। पुरानी रंजिश और ग्रामीण राजनीति के कारण अभियुक्तगण को झूठा फंसाये जाने की संभावना को नहीं नकारा जा सकता है। समस्त अभियोजन साक्षियों ने परस्पर विरोधाभासी बयान दिये हैं। साक्षीगण पूर्णतः विश्वसनीय नहीं हैं। सम्पूर्ण अभियोजन कथानक में संदेह के बादल विद्यमान हैं। अभियुक्तगण द्वारा विधि विरुद्ध जमाव कर, सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में न तो कोई स्वेच्छया उपहति कारित की गयी और ना ही गाली-गलौज दी और ना ही जान से मारने की धमकी दी गयी। अभियुक्तगण लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर कोई भी जाति सूचक गालियां नहीं दी गयी और ना ही वादी और उसके परिवार को अपमानित या अभिन्नस्त किया गया। अभियोजन विश्वसनीय एवं अकाट्य साक्ष्यों से

अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है। अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाने के अधिकारी हैं तथा दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

विशेष सत्र परीक्षण सं० 188/2021, राज्य बनाम अजय कुमार आदि में अभियुक्तगण **अजय कुमार, विजय, सुन्दर, भूरा उर्फ शिव कुमार एवं प्रहलाद सिंह** को लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 147,323,504,506 भा०द०सं० व धारा 3(1) द, ध, एस०सी०/ एस०टी० एक्ट से उपरोक्त कारणों के आलोक में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अभियुक्तगण की जमानतें और बन्ध पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण धारा 437A द०प्र०सं० के अनुपालन में न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 14.12.2023 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।
 ID NO UP6193

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 14.12.2023 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।
 ID NO UP6193